भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3846

जिसका उत्तर 23.03.2023 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग

3846. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण भारत में इलेक्टिक वाहन (ईवी) के उपयोग में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बेहतर बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में (ग्रामीण और शहरी दोनों) इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण बढ़ रहा है। विवरण नीचे दिए गए हैं: -

वर्ष	2020	2021	2022	2023 (19.03.2023 तक)
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन	1,24,026	3,29,808	10,20,679	2,78,976

नोट : *आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, वाहन में माइग्रेट करने की प्रक्रिया में हैं और ऊपर दिखाया गया डेटा केवल आंशिक है, जैसा कि वाहन डेटाबेस में उपलब्ध है। तेलंगाना और लक्षद्वीप डेटा ऑनलाइन वाहन डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) 1. राष्ट्रीय राजमार्ग लाजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे में मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए) विकसित कर रहा है जिसमें ईवी चार्जिंग का प्रावधान एक अनिवार्य सुविधा है।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) स्कीम लॉन्च की थी। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम का दूसरा चरण 01 अप्रैल, 2019 से 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 5 साल की अवधि के

लिए लागू किया जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी मंजूरी दी गई है।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के संकल्प संख्या पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी दिनांक 08.11.2019 के अनुसार, पारंपरिक ईंधन के अलावा, अधिकृत संस्थाओं को उनके प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (आरओ) पर उक्त आउटलेट के संचालन जो विभिन्न अन्य वैधानिक दिशानिर्देशों का यथा प्रयोज्य अनुपालन करने वाली इकाई के शर्ताधीन हैं, के तीन साल के भीतर संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), जैव ईंधन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट आदि जैसे कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन के विपणन के लिए सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है।

*****